

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा(ग्रुप-3)विभाग

ईमेल- higheredu3@rajasthan.gov.in दूरभाष-0141-5153222/ 5153223/ 5153660 (आई.टी.ए. 24870)

क्रमांक प. 1(6)शिक्षा/ग्रुप-3/2020

जयपुर, दिनांक 5 JAN 2021

आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986 के नियम-26 के अन्तर्गत गठित रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की अनुसंधान पर राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) के निम्नांकित अधिकारियों को उप प्राचार्य स्नातकोत्तर/स्नातक व प्राध्यापक(व्याख्याता) से स्नातक प्राचार्य/उप निदेशक (Pay Matrix AL-14) के पद पर वर्ष 2017-18 की रिक्तियों के प्रति वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति दिनांक को एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम	वर्ग	जन्मतिथि	रिक्ति की दिनांक	अन्य विवरण
1	3	4	5	6	7
1	श्रीमती रेखा राणावत	सामान्य	21.01.60	01.04.17	चयन सूची में इनका नाम श्री चन्द्रप्रकाश गौड (सामान्य) के नीचे आयेगा।
2	श्री रामसिंह राजावत	सामान्य	05.07.58	06.06.17	चयन सूची में इनका नाम श्री राधेश्याम बांगड (सामान्य) के नीचे आयेगा।
3	श्रीमती धर्मसिंह मीणा	अजजा	01.05.59	01.09.17	चयन सूची में इनका नाम श्री बजरंग लाल मीणा (अजजा)के नीचे आयेगा।
4	श्रीमती आमा सक्सेना	सामान्य	19.09.59	01.09.17	चयन सूची में इनका नाम श्री रामनाथ मीणा (अजजा) के नीचे आयेगा।

उक्त पदोन्नत अधिकारियों को पदोन्नति का परिलाम उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति की तिथि से काल्पनिक एवं सेवानिवृत्ति तिथि से वास्तविक लाभ देय होगा &

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ. मोहम्मद नईम)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

- विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग।
- निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।
- संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग।
- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- सम्बन्धित महाविद्यालय/अधिकारी।
- रक्षित पत्रावली।

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एफ.1()पीएस/आकाशि/20/245

दिनांक: 05.01.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग।
- निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।
- संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग।
- निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
- संबन्धित प्राचार्य/अधिकारी।
- स्थापना शाखा/कार्मिक शाखा/गोपनीय शाखा/रोकड़ शाखा।
- वेबसाईट प्रभारी को अपलोड करने हेतु।
- रक्षित पत्रावली।

(डॉ. आर. सी. मीना)
संयुक्त निदेशक(एचआरडी)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।